मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2269

05.08.2024 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रस्ताव

2269. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

श्री दिलेश्वर कामैत:

डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:

क्या ***पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या सरकार ने 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों को आपसी सहमति से उक्त अध्ययन करने की अनुमति दी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश गंभीर जलवायु परिवर्तन, विनाशकारी बाढ़ और जान-माल के नुकसान का सामना कर रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान हुई जान-माल की हानि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जलवायु परिवर्तन के कारण देश को वित्तीय हानि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए उठाए गए निवारक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय क्षरण से निपटने, सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, जैव विविधता की रक्षा करने, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने और देश के पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति प्रस्तावित की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों तथा उनके अंतर्गत अनुसंधान संगठनों द्वारा किए जाते हैं। भारत ने दिसंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को अपना तीसरी राष्ट्रीय संसूचना (टीएनसी) प्रस्तुत की थी। उक्त टीएनसी में 'प्रभाव, संवेदनशीलता और अनुकूलन' संबंधी एक अध्याय शामिल है, जो मंत्रालय

द्वारा विभिन्न विशेषज्ञ संगठनों को सौंपे गए विभिन्न अध्ययनों के परिणामों पर आधारित है। टीएनसी की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हाल के वर्षों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की घटनाओं ने भारत के कई हिस्सों को प्रभावित की थी। भारी वर्षा के साथ-साथ हिमनदों के टूटने और अचानक बाढ़ आने तथा हिमस्खलन जैसी घटनाओं के कारण ये बाढ़ की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं के कारण भारत के कई जिलों में लोगों के जीवन, फसलों, सार्वजनिक अवसंरचनात्मक ढांचे और निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ।

अवलोकनों से पता चलता है कि हाल के दशकों में भारत सहित दुनिया भर में चरम स्थिति के मौसम की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हालाँकि, भारत के लिए ऐसा कोई संस्थापित अध्ययन नहीं किया गया है जो प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाने वाले जलवायु परिवर्तन के मात्रात्मक योगदान को दर्शाता हो। जैसा कि देखा गया है, ये परिवर्तन जैवमंडल और भूमंडल में साझा रूप से पाई जाने वाली जलवायु प्रणालियों में अंतर्निहित परिवर्तनशीलता सहित कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। जबकि अनेक अध्ययन सूखा, बाढ़ और हिमनदों के टूटने जैसी आपदाओं की निगरानी करते हैं, इन परिवर्तनों को विशेषकर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराने का विज्ञान अत्यधिक जटिल है और वर्तमान में एक विकासशील विषय है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की जानकारी के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चरम स्थिति के मौसम के कारण लोगों के जीवन के नुकसान पर कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं रखा जाता है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य का अपना राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है।

(च) और (छ): भारत सरकार, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से अनेक कदम उठा रही है, जिनका जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी कार्यकलापों पर प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव पड़ता है। सहमति के अनुसार, अपने जलवायु कार्यकलापों में उच्च महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करते हुए। पेरिस करार के तहत बनी सहमति के अनुसार, अपने जलवायु कार्यकलापों में उच्च महत्वकांक्षा प्रदर्शित करते हुए अगस्त 2022 में, भारत ने अपने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन किया। अद्यतन एनडीसी के एक भाग के रूप में, भारत ने व्यक्तियों और समुदायों के व्यवहार और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करके संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यों पर आधारित स्वस्थ और संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' (लाइफ) (पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली) की अवधारणा शुरू की है। इसके अलावा, नवंबर 2022 में यूएनएफसीसीसी को सौंपी गई भारत की एलटी-एलईडीएस (दीर्घकालिक कम-कार्बन उत्सर्जन वाली विकासात्म्क कार्यनीति) में भारत के कम कार्बन उत्सर्जन और संधारणीय विकास के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है।

इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की जलवायु संबंधी कार्यकलाप भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में अंतर्निहित हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा दक्षता, संधारणीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, हरित भारत, संधारणीय कृषि, मानव स्वास्थ्य जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय मिशनों और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान के माध्यम से सभी जलवायु कार्यकलापों के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। ये सभी मिशनें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने की कार्यनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और इन्हें उनके संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थागत रूप दिया जाता है और कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने

जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी) तैयार की हैं। एसएपीसीसी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के अंतर्गत 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 847.48 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। भारत द्वारा दिसंबर 2023 में यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत प्रारंभिक अनुकूलन संसूचना से पता चलता है कि वर्ष 2021-22 के लिए अनुकूलन संबंधित कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.6 प्रतिशत था, और यह वर्ष 2015-16 के 3.7 प्रतिशत के हिस्से की तुलना में बढ़ रहा है, और यह दर्शाता है कि सरकार विकास योजनाओं में जलवायु प्रतिरोध और अनुकूलन को एकीकृत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए, संसाधनों के लिए विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी मांगों के बावजूद, संसाधनों की एक महत्वपूर्ण राशि खर्च कर रही है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) को जन भागीदारी और विकेन्द्रीकृत वन प्रशासन के माध्यम से अभिज्ञात किए गए अवक्रमित वन क्षेत्रों में वनीकरण हेतु अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित किया गया है। काम्पा के तहत प्रतिपूरक वनीकरण का उपयोग अवक्रमित वन भूमि पर वनीकरण करने और पारि-पुनर्बहाली कार्यों को करने के लिए भी किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2023 में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रण और प्रबंधन में आने वाली अवक्रमित वन भूमि के उन हिस्सों को अभिज्ञात करें, जिन्हें ग्रीन क्रेडिट सृजित करने के उद्देश्य से वनीकरण के लिए उपलब्ध करावाया जा सकता है। सरकार ने आर्द्रभूमियों के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने, जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पारि-पर्यटन के अवसरों को बढ़ाने और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की है। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और जलवायु उपशमन एवं अनुकूलन उपाय करने के रूप में तटीय पर्यावास और वास्तविक आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) शुरू की जा रही है। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए कई पहलें की हैं। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

*****